[2019] 10 एस.सी.आर. 304

महाराष्ट्र शतरंज एसोसिएशन

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 5654 वर्ष 2019)

जुलाई 29, 2019

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5654/2019

2017 की रिट याचिका संख्या 7770 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.09.2018 से

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री नीला गोखले, सुश्री शारदा अग्रवाल, अक्षत प्रधान, सुश्री कामाक्षी एस. मेहलवाल, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

के.एम.नटराज, एएसजी, पारस कुहाड़, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अलका अग्रवाल, आर.आर.राजेश, अरुण कुमार यादव, राज बहादुर यादव, सुश्री शालिनी कौल, शिवानंदराज, सुश्री अदिति, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश के द्वारा पारित किया गया।

वर्तमान अपील इस मुद्दे को उठाती है कि क्या अपीलकर्ता एवं द्वितीय उत्तरदायी अपने बीच निजी समझौता, जो कि उसके संविधान और उपनियमों के रूप में हो, हस्ताक्षरित करते हुए विशेष क्षेत्राधिकार चेन्नई की अदालतों को प्रदान करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है।

द्वितीय उत्तरदायी संविधान और उप नियमों के तहत खण्ड 21 इस प्रकार है

21 कानूनी कार्रवाई

I. संघ केवल मानद सचिव के नाम से मुकदमा दायर कर सकता है या उसपर दायर हो सकता है।

II. संघ के खिलाफ कोई भी मुकदमा/ कानूनी कार्रवाई केवल चेन्नई की अदलतों में की जाएगी जहां अखिल भारतीय शतरंज संघ का पंजीकृत कार्यालय स्थित है या वैसे जगह जहां अखिल भारतीय शतरंज संघ का सचिवालय कार्यरत हो।

द्वितीय उत्तरदायी अखिल भारतीय शतरंज संघ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है यह भारत में शतरंज के लिए एक केन्द्रीय शासित प्राधिकरण है। अपीलकर्ता 1860 के अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है और वर्ष 1978 से द्वितीय उत्तरदायी का एक संबद्ध सदस्य है। 25 दिसम्बर 2016 को द्वितीय उत्तरदायी की केन्द्रीय परिषद में अपीलार्थी को असंबद्ध करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। रिट की कार्रवाई दर्ज होने के बाद द्वितीय उत्तरदायी को अपीलार्थी के स्थान पर द्वितीय प्रतिउत्तरदायी के द्वारा संबद्ध किया गया है।

अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर कर अन्य के अलावे द्वितीय उत्तरदायी को पक्षकार बनाया था। द्वितीय उत्तरदायी ने संविधान और उपनियम के तहत खण्ड 21 के आधार पर प्रारंभिक अपत्ति उठायी कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास इस रिट याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा उपनियम द्वितीय उत्तरदायी और किसी अन्य पक्षकार, अपीलार्थी सहित, के बीच विवाद का एकमात्र क्षेत्राधिकार चेन्नई के अदालतों को प्रदान करता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि खण्ड

21 द्वारा चेन्नई की अदलतों को छोड़कर अन्य सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर करता है। उच्च न्यायालय ने यह धारित किया;

''... वर्तमान मामले के तथ्यों के तहत जब खण्ड 21, जिसका उल्लेख हमनें उपरोक्त किया है, का अस्तित्व हमारे विचार से चेन्नई की अदलतों को छोड़कर अन्य अदलतों के क्षेत्राधिकारों को बाहर करता है जहां उत्तरदायी संख्या 2 के विरूद्व मुकदमा/कानूनी कार्रवाई लाया गया है;

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय नवारे के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि;

1. अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक उपचार प्रदान करता है जहां मौलिक अधिकार या अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता हो या उल्लंघन का खतरा हो;

2. पक्षकार निजी तौर पर तय किये गये समझौते द्वारा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं कर सकती;

3. यह उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित होना चाहिए कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर अनच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं: और

4. वर्तमान मामले में द्वितीय उत्तरदायी के संविधान और उपनियम के खण्ड 21 के तहत रिट क्षेत्राधिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध उत्पन्न हुआ ऐसा धारित करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गलती की।

5 विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल श्री के. एन. नटराज ने प्रस्तुत किया कि:

1. अनुच्छेद 226 में सन्ननिहित जैसे सार्वजनिक कानून उपचार को बाहर नहीं किया जा सकता है;

2. द्वितीय उत्तरदायी के संविधान और उपनियमों का खण्ड 21 के गैर वैधानिक अनुबंध है जिसके प्रभाव को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा विचार करना होगा जिसे करने में वह विफल रहा; और

3. न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और इसे ना तो सीमित किया जा सकता है और ना ही निरस्त किया जा सकता है।

दूसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पारस कुहाड़ ने निवेदित किया गया कि उच्च न्यायालय ने अपने विवेक से, अपेक्षित निर्णय के सार द्वारा रिट याचिका में हस्तक्षेप से इंकार किया है इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय, अगर सही ढंग से समझा जाए तो यह धारित नहीं किया कि उसकी क्षेत्राधिकार को बाहर किया गया है बल्कि तथ्यों और परिस्थितियों में रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना तब उचित नहीं था जब पक्षकारों ने समाधान के लिए अपने विवाद को चेन्नई के अदालतों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गये थे।

द्वितीय उत्तरदायी का संविधान और उपनियम अपीलार्थी और दूसरे द्वितीय उत्तरदायी के बीच का एक निजी समझौता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से खण्ड 21 पर निर्धारित होते हुए धारित था कि रिट क्षेत्राधिकार और सभी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बाहर हो गया था। यह जांच योग्य है कि क्या निजी समझौता रिट क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकता है।

अनुबंध कानून का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकारगण अनुबंध द्वारा सभी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बाहर नहीं कर सकती। ऐसा अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 1872 के धारा 28 का उल्लंघन करते हुए कानूनी कार्रवाई को बाधित करने वाला एक समझौता होगा। हालांकि जहां एक अनुबंध के पक्षकारगण अन्य सभी न्यायालयों को छोड़कर उचित क्षेत्राधिकार वाले कई न्यायालयों में से किसी एक को क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि पक्षकारों ने सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया है। ऐसे अनुबंध वैध हैं और पक्षकारों पर दीवानी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। यह सिद्धांत ए बी सी लेमिनार्ट (पी) लिमिटेड, सालेम, (''ए बी सी लेमिनार्ट'') में निर्धारित किया गया था जिसमें इस न्यायालय द्वारा विख्यात किया गया:

''16. जबतक किसी अनुबंध के पक्षकार उन सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं हो जाते जिनको कानून के तहत अन्यथा कार्रवाई का कारण तय करने का क्षेत्राधिकार होता तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि

पक्षकारों ने अपने अनुबंध द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया है। यदि कानून के तहत कई न्यायालयों के पास क्षेत्राधिकार होता और पक्षकार अन्य या उनमें से किसी को छोड़कर एक के क्षेत्राधिकार के प्रति समर्पित होने के लिए सहमत हुए हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि क्षेत्राधिकार का पूर्ण निष्कासन हो गया है। दूसरे शब्दों में, जहां अनुबंध के पक्षकार किसी विशेष न्यायाधिकार में विवाद सर्मपित करने के लिए सहमत होते हैं जो कानून के तहत अन्यथा भी एक उचित क्षेत्राधिकार होगा तब उनका अनुबंध उस हद तक सार्वजनिक नीति के तहत अमान्य नहीं कहा जा सकता जहां कि वे अन्य क्षेत्राधिकारों में सर्मपित होने के लिए सहमत हों। दूसरी ओर जिस क्षेत्राधिकार को वे समर्पित होने के लिए सहमत हुए हों वह अगर अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों का अन्यथा उचित क्षेत्राधिकार नहीं है तब उसे सार्वजनिक नीति के तहत निरस्त घोषित किया जाना चाहिए।

ए बी सी लेमिनार्ट के निर्णय को उत्तरवर्ती निर्णयों में अनुगमन किया गया है।

10. अनुबंध के द्वारा पक्षकार उस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करा सकते जिसे निर्णय के न्यायाधिकार का अभाव हो। लेकिन जहां कई अदालतों के पास विवाद की विषय वस्तु की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हो वहां ये शर्त रख सकते हैं कि वाद उनमें से केवल एक न्यायालय, अन्य को छोड़ते हुए, के समक्ष लाया जा सकता है। खंड 21 सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं करता है। बल्कि अपीलार्थी और द्वितीय उत्तरदाता सहमत है कि वाद या कानूनी कार्रवाई चेन्नई के न्यायालयों के समक्ष होगा। जब तक चेन्नई स्थित न्यायालयों को अपीलार्थी और द्वितीय उत्तरदाता के बीच विवादों के उपर क्षेत्राधिकार रहेगा, खंड 21 ए बी सी लेमिनार्ट में तय सिद्धातों के उल्लंघन में नहीं होगा। हालांकि ए बी सी लेमिनार्ट का निर्णय मूल वाद और एक सामान्य व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में किया गया था। वर्तमान मामला भौतिक रूप से भिन्न है। अपीलार्थी अनुच्छेद 226 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय पहुँचा था। द्वितीय उत्तरदाता खंड 21 के आश्रय पर बॉम्बे उच्च न्यायायल के क्षेत्राधिकार को बाहर करना चाहता है।

11. संविधान का अनुच्छेद 226 (1) उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और परिणामस्वरूप रिट की कार्रवाई करने का न्यायाधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 (1) का पाठ यह प्रदान करता है कि एक उच्च न्यायालय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। एक नागरिक ना कि सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन बल्कि कहीं अधिक व्यापक मामलों में उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की मांग कर सकता है। लॉर्ड कोक इग्लैंड में न्यायालयों द्वारा रिट के उपयोग पर टिप्पणी करते हुए कहाः

किंग्स बेंच की अदालत सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में त्रुटियों में सुधार का अधिकार ही नहीं रखता बल्कि अन्य त्रुटियों एवं कदाचार [...] के लिए भी जो कि शांति भंग या प्रजा पर अत्याचार, या गुटबाजी उत्पन्न होने, विवाद, बहस या किसी अन्य तरीके के कुशासन के लिए उन्मुख हो ताकि कोई गलती या क्षति, सार्वजनिक या निजी नहीं की जा सके बल्कि कानून को सही प्रणाली द्वारा इसे सुधार या दंडित किया जा सके।

यह न्यायालय लॉर्ड कोक की भावनाओं को दुहराते हुए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड बनाम कमल स्वरूप टंडन में गौर किया गया कि:

''35... यह पूर्णतः स्थापित है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायसंगत और विवेकाधीन है। उक्त अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग ''अन्याय तक पहुंचना है जहां कहीं भी पाया जाए'' किया जाना है।

12. उच्च न्यायालय का संविधान के तहत भूमिका उसके संपूर्ण क्षेत्रीय अधिकार के कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन पारलौकिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियां रिट क्षेत्राधिकार के तहत आवश्यक रूप से व्यापक हैं। इन्हें न्याय की सहायता के लिए प्रदान किया गया है। यह न्यायालय ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय को रिट न्यायाधिकार की शक्तियों पर कोई भी परिसीमन नहीं लगाया जा सकता। ए वी वेंकटेश्वरन, सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे बनाम रामचंद शोभराज वाधवानी में

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अपने समक्ष एक वाद में यह तय किया था कि रिट क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति स्वाभाविक रूप से कानून के शासन पर होनेवाले खतरों पर निर्भर है:

''10... हमें सिर्फ यह जोड़ने की आवश्यकता है कि सिद्धांत की विस्तृत रेखाएं जिन पर न्यायालय को कार्य करना चाहिए स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है, उनका प्रत्येक वाद विशेष के तथ्यों पर अनुप्रयोग आवश्यक रूप से विभिन्न व्यक्तिगत तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए जो कि न्यायालय के विवेक के प्रयोग को नियंत्रित करता हो, और इस तरह से वे मामले जो प्रमुख रूप से एक विवेकाधीन वाले हो, यह संभव नहीं है और अगर हो भी तो यह वांछनीय नहीं है कि कठोरता से उन सभी वादों में कठोर प्रक्रिया को अपनाया जाय जो अदालत के समक्ष आये।

उच्च न्यायालय की शक्तियों को उसके रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग हेतू सख्त कानूनी सिद्धांतों से सीमित नहीं किया जा सकता ताकि कानून के शासन को बनाए रखने में उच्च न्यायालय को अपना शासनादेश पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो।

13. हालांकि रिट क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग किसी सख्त कानूनी सिद्धांतों के अधीन नहीं है, दो स्पष्ट सिद्धांत उभरते हैं कि कब उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को वचनबद्ध किया जा सकता है। पहला कि रिट क्षेत्राधिकार के तहत किसी विशेष कार्रवाई पर विचार करने या नहीं करने का उच्च न्यायालय का निर्णय मौलिक रूप से उसके विवेक के तहत है। दूसरा कि, न्यायालय का अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग या प्रयोग करने से इंकार करने के प्रतिबंध का फैसला स्वगृहीत है। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार को कानून द्वारा पूर्णतः बाहर नहीं किया जा सकता। यदि किसी उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के तहत कानून के शासन को बनाये रखने के लिए अंतिम उपाश्रय का काम सौंपा गया हो तो उसके पास आवश्यक रूप से किसी भी मामले की जांच करने के लिए और यह निर्धारित करने के लिए शक्ति होनी चाहिए कि उसका रिट क्षेत्राधिकार उसमें शामिल है या नहीं। न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 226 के तहत संविधान के मूल संरचना की एक आंतरिक विशेषता है।

14. ये सिद्धांत इस न्यायालय के कई निर्णयों में धारित किये गये हैं और हमें सिर्फ कुछ का उल्लेख करने की आवश्यकता है यह दिखाने के लिए कि इसे सुसंगत तरीके से दोहराया गया है। यह न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड के मामले में यह गौर किया था कि रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर उच्च न्यायालय का निर्णय अनिवार्य रूप से विवेकाधीन हैः

''4... यह हमेशा न्यायालय के विवेक का मामला है और यदि उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का उपयोग अनुचित या विकृत तरीके से नहीं किया गया है तो यह इस न्यायालय की एक स्थापित परंपरा है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा विवेक के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

15. इस सिद्धांत पर इससे पहले भी विचार किया गया था। संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा में अदालत ने उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की विवेकाधीन प्रकृति पर प्रकाश डाला था। अदालत ने यह भी कहा था कि अदालतों ने स्वंय अपने रिट क्षेत्राधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर विवादों के लिए एक अपीलीय तंत्र ना बन जाये। अदालन ने कहा:

''14... अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अपीलीय अदालत के रूप में काम नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। उनकी शक्ति पूर्णतः विवेकाधीन है और हालांकि उस विवेक पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती लेकिन इसे रेखांकित मान्यता के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए और मनमाने ढंग से नहीं; और अदालतों द्वारा लगाई गई सीमाओं में से एक यह भी है कि वे इस वर्ग के मामलों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तबतक नहीं करेंगे जबतक पर्याप्त अन्याय ना हुआ हो या होने की संभावना हो। जो व्यापक और सामान्य अर्थो में अन्याय का कारण नहीं बनते वैसे कानून की त्रुटियों को ठीक करने के लिए खुद को अपीलीय या पुनरीक्षण अदालतों में बदलने की अनुमति नहीं

देंगे क्योंकि यद्यपि कोई भी विधायिका इस संवैधानिक शक्ति पर सीमाएं नहीं लगा सकती विधायिका की नीतियों को ध्यान में रखते हुए यह एक अच्छा अभ्यास होगा कि विशेष अधिकारों के बारे में विवादों का निपटारा शीघ्रअतिशीघ्र हो सके।

ये स्वगृहीत नियम के पीछे यह उद्देश्य स्पष्ट है। अगर उच्च न्यायालयों को अपना रिट क्षेत्राधिकार इतने विस्तृत रूप से उपयोग करना होता ताकि नियमित रूप से वैधानिक अपीलीय प्रक्रिया की अवहेलना हो तो वे स्वंय पक्षकारों की क्षति वाले बड़ी संख्या के मामलों की बाढ़ से घिर जाएगें। इससे मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक अपील तंत्र बनाने की विधायिका की मंशा भी विफल हो जाएगी।

16. उपरोक्त अवलोकन वर्तमान मामले के संबंध में एक विशेष विचार उत्पन्न करता है। अगर स्वगृहीत नियम द्वारा उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार एक उपयुक्त उपाय के अस्तित्व से प्रतिबंधित है, चाहे वह संवैधानिक, वैधानिक, या संविदात्मक हो तो उच्च न्यायालय को वहां अपना रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए जहां ऐसा कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो। अतः अपने सामने हम यह सवाल कि क्या संविधान और उपनियमों का खंड 21 बॉम्बे उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के रिट याचिका पर विचार करने से परहेज करने पर मजबूर करता है या नहीं पर विचार करने से पूर्व हमें प्रथम यह विचार करना होगा कि क्या खंड 21 के अनुपस्थिति में भी वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व बॉम्बे उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के रिट याचिका पर विचार करने में बाधा उत्पन्न करेगा।

17. दूसरे उत्तरदाता का यह मामला है कि विवाद की सुनवाई और निर्णय चेन्नई में होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि अगर उत्तरदाता के तर्क को स्वीकार किया जाता है तो मद्रास उच्च न्यायालय यह मामले की सुनवाई करेगा। अतः वैकल्पिक उपचार (यानि कि मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका) अपीलार्थी द्वारा मांगे गये वर्तमान उपचार हर तरीके से समतुल्य है। मद्रास उच्च न्यायालय को अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग हेतू समान शक्तियां प्राप्त है। उपरोक्त परिस्थिति में यह दलील है कि अपीलार्थी चेन्नई में भी वही राहत प्राप्त कर सकता है जैसा कि मुम्बई में। अतः पक्षकारों के बीच का समझौता कायम रहना चाहिए और अनुच्छेद 226 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार बाहर रहेगा।

18. दूसरे उत्तरदाता का यह तर्क गलत धारणाओं पर आधारित है। वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व चाहे पर्याप्त हो या ना हो उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के मौलिक विवेकाधीन प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता है और अतः उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के उपयोग पर पूर्णरूपेण कोई कानूनी रोक नहीं उत्पन्न करता है। रिट क्षेत्राधिकार के तहत किसी कार्रवाई पर विचार करना है या नहीं यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी विशेष मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करते हुए लेना है।

19. यह अवधारणा इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर.एस. पाण्डे वाले मामले में इस न्यायालय ने निर्धारित किया:

‘‘11. उस अवधि को छोड़कर जब अनुच्छेद 226 को संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, वैकल्पिक उपचार से संबंधित शक्ति को स्वगृहीत सीमा का नियम माना गया है। यह मूलतः नीति सुविधा और विवेक का नियम है कानून के शासन का कभी नहीं। वैकल्पिक उपचार के अस्त्तिव के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या विवेक पर निर्भर है। साथ ही साथ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हालांकि वैकल्पिक उपचार से संबंधित मामले का क्षेत्राधिकार के अधिकार क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है अगर पर्याप्त प्रभावकारी वैकल्पिक समाधान उपलब्ध है तो आमतौर पर उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

20. उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग वहां भी किया जा सकता है जहां वैकल्पिक उपचार मौजूद नहीं है यह सिद्धांत और पीछे जाकर इस न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निर्णय उत्तर प्रदेश बनाम मोहम्मद नूह मामले में खोजा जा सकता है जहां न्यायमूर्ति विवियन बोस ने गौर किया कि:

''10. अगले स्थान पर यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उत्प्रेषण और जैसा कि परमादेश के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह वहीं लागू होगा जहां कोई और समतुल्य उपचार प्रभावी नहीं है। यह पूर्णतः स्थापित है कि, बशर्ते कि आवश्यक उपचार मौजूद हो उत्प्रेषण लागू होगा जबकि अपील का अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त है। पीड़ित पक्ष के पास एक और पर्याप्त उपचार मौजूद है इस तथ्य पर वरिष्ठ न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उत्प्रेषण के रिट को जारी किया जाना चाहिए या नहीं।

21. केवल वैकल्पिक न्यायाधिकरणों का अस्तित्व जहां विभिन्न पक्ष राहत प्राप्त कर सकता है, उच्च न्यायालय के उपर रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने हेतू कानूनी बाधा उत्पन्न नहीं करता। यह कई कारकों के बीच उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाला एक कारक है। अतः केवल यह तथ्य कि मद्रास उच्च न्यायालय अपीलार्थी को पर्याप्त राहत देने में सक्षम है, बॉम्बे उच्च न्यायालय को वर्तमान मामले में अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में कोई कानूनन बाधा उत्पन्न नहीं करता।

22. यह हमें इस सवाल पर ले आता है कि क्या खंड 21 स्वंय बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपर रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने से कानूनन रोक लगाता है। जैसा कि उपर वर्णित है उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार मौलिक रूप से विवेकाधीन है। यहां तक कि एक वैकल्पिक पर्याप्त उपाय का अस्तित्व भी उच्च न्यायालय को अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने या ना करने का निर्णय लेने के लिए विचार हेतू महज एक अतिरिक्त कारक है। यह कानून द्वारा शासित व्यवहार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल विपरीत है। चाहे कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद हो या ऐसे तथ्य उत्पन्न हो रहे हों जो संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न उठाते हों उन मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी विशेष मामले पर विचार करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा कथित अन्याय को प्रकृति सहित विभिन्न कारकों पर विचार कर सकता है। ये कारक संपूर्ण नहीं हैं और हम यह बताने का प्रस्ताव नहीं करते कि किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान उद्देश्यों के लिए यह कहना पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय को रिट याचिका में प्रस्तुत समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और प्रत्येक अद्वितीय मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लेना चाहिए।

23. इस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाम विनय इंजीनियरिंग के मामले में इस न्यायालय का फैसला चर्चा करने योग्य है उस मामले में पक्षकारों के बीच अनुबंध में अलीगढ़ की अदालतों को क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाला एक खंड शामिल था जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले के उपर अपना रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग किया तो इस न्यायालय ने धारित किया:

''2. हमें आश्चर्य है, थोड़ा ही नहीं, कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को ऐसे मामले में क्षेत्राधिकार का उपयोग करना चाहिए था जहां उसे कोई क्षेत्राधिकार था ही नहीं। विचाराधीन अनुबंधों को अलीगढ़ में निष्पादित किया गया था निर्माण कार्य अलीगढ़ में किया जाना था और यहां तक कि अनुबंधों में यह भी प्रावधान था कि विवाद की स्थिति में सिर्फ अलीगढ़ की अदालतों को क्षेत्राधिकार होगा मध्यस्थ अलीगढ़ से था और उसे वहीं से कार्य करना था। सिर्फ इसलिए कि प्रतिवादी एक कलकत्ता धारित प्रतिष्ठान थी ऐसा लगता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय अजीब तर्क अपनाकर अपने उस क्षेत्राधिकार जो उसके पास था ही नहीं का उपयोग किया है। हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि यह अधिकार क्षेत्र के दुरूपयोग का मामला है और हमें लगता है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का रूख किया इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि कार्रवाई का कोई भी कारण का हिस्सा उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न नहीं हुआ था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा पूरी तरह से अपोषणीय था।

24. न्यायालय ने समग्रता से तथ्यों की जांच की, यह देखते हुए कि अनुबंध निष्पादित था और उसका निष्पादन अलीगढ़ में होना था और मध्स्थ को अलीगढ़ से काम करना था उसने यह जरूर ध्यान रखा कि अनुबंध

द्वारा अलीगढ़ की अदालतों को क्षेत्राधिकार प्रदत्त था लेकिन अनेकों में से यह सिर्फ एक कारक था न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

25. वर्तमान मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने संविधान और उपनियमों के खण्ड 21 पर निर्भर करते हुए यह निर्धारित किया कि उसका खुद का रिट क्षेत्राधिकार बाधित है। बॉम्बे उच्च न्यायालय मामले को समग्र रूप से विचार करते हुए असफल रहा है कि क्या उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए था या नहीं। अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय का जांच संविधान के अंतर्गत कानून के शासन को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। उच्च न्यायालय के पास सिर्फ एक निजी तौर पर तय किए गये दस्तावेज के अस्तित्व से जिससे उसके क्षेत्राधिकार को बाहर किया गया हो इस जिम्मेवारी को त्यागने का विकल्प मौजूद नहीं है ।

26. उच्च न्यायालय के पास निश्चित रूप से विचारण हेतु यह विकल्प है कि अपीलार्थी और द्वितीय उत्तरदाता ने अपने सारे विवादों का निष्पादन चेन्नई की अदालत के समक्ष निपटाने की सहमति व्यक्त की है। हालांकि यह मामले के व्यापक तथ्यात्मक सांचा में एक कारक हो सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उचित मामलों में उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करने से यह कहते हुए इस सिद्धांत पर इंकार कर सकता है कि न्यायाधीकरण उचित नहीं है। अपीलार्थी के मामले को उच्च न्यायालय द्वारा समग्र रूप से देखना चाहिए और यह निर्धारित करे कि क्या उसे रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करना उचित होगा। हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय को किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए ना ही कैसी संबंधित गंभीरता उन कारकों पर प्रदान की जाए। ऐसे सिद्धांत से उच्च न्यायालय पूरी तरह से अवगत है और यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि उच्च न्यायालय के विवेक के इस्तेमाल पर हस्तक्षेप करे कि उसे कब अपने रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करना है अगर वह मनमाने ढंग से या गलती से उपयोग ना किया गया हो। संविधान और उपनियम के खण्ड 21 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की एकमात्र और पूर्णनिर्भरता हालांकि सिर्फ एक उदाहरण है यह निर्धारित करने के लिए कि अनुच्छेद 226 के तहत उसका क्षेत्राधिकार बाहर हो गया है।

27. हम तद्नुसार अपील स्वीकृत करते हैं और उच्च न्यायालय के 25 सितम्बर 2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं। तद्नुसार रिट याचिका संख्या 7770/2017 को नये सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की संचिका में पुनर्स्थापित किया जाता है। कोई खर्च नहीं।

लंबित आवेदन (आवेदनों) यदि कोई हो तो, निष्पादित रहेगी।

अमितेश लाल
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।